UPGK010023862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–1009/2026

धीरज चौरसिया उम्र 23 वर्ष पुत्र सुग्रीव चौरसिया, निवासी- बरईपार डावरपार, थाना- बेलीपार, जिला- गोरखपुर। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 74/2026
अंतर्गत धारा- 305, 331(4), 317(2),
317(4), 317(5) भा०न्या०सं०
थाना- खोराबार, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त धीरज चौरसिया की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1009/2026 मु0अ0सं0- 74/2026, अंतर्गत धारा- 305, 331(4), 317(2), 317(4), 317(5) भा०न्या०सं०, थाना- खोराबार, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राहुल सिंह का एक नव निर्मित मकान चार मिनार कालोनी निकट रूप श्री मैरेज हाल भवानी ट्रेडर्स के सामने जंगल सिकरी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर में है। प्रार्थी के उक्त नव निर्मित मकान को दिनांक 26/27.02.2026 की रात्रि में CCTV फुटेज के अनुसार दिनांक 27.02.2026 रात्रि 01.10AM से रात्रि 02.30AM के मध्य अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर 2AC, 1 वाशिंग मशीन, 1 स्मार्ट टीवी, मिक्सर मशीन, माइक्रेवेव, चाँदी व पीतल के समान बर्तन, गैस चुल्हा, किचन सेट सहित कई अन्य कीमती समाव गिफ्ट आदि जो कि प्रार्थी के छोटे भाई के विवाद में दिनांक 25.02.2026 को प्राप्त हुए थे, को चुरा ले गये। उक्त चोरी में प्रार्थी का काफी नुकसान हुआ है।

3. दिनांक 01.03.2026 को थानाध्यक्ष सुधांशु सिंह व उनके हमराहियान को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सूर्या यादव ढ़ाबा के सामने एक बन्द दुकान के पीछे 5-6 व्यक्ति

डकैती करने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके हम सभी पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर दुकान के पीछे बैठे व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो दुकान के पीछे छः व्यक्ति निकलकर दुकान के सामने खड़े टैम्पो की तरफ भागे तथा टैम्पो स्टार्ट कर सड़क पर चढ़कर भागने लगे कि टैम्पो की गति तेज होने के कारण टैम्पो पलट गया जिसमें से दो व्यक्ति सड़क से नीचे उतरकर रात्रि व झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जबकि चार व्यक्तियों को टैम्पो पलटने से आई चोटों के कारण घायल होकर टैम्पो के पास ही पड़े रहे। हमराही कर्मचारियों के सहयोग से टैम्पो को सीधा कराया गया, चारों व्यक्तियों ने धुस चोट लगने का हवाला देकर चिकित्सीय उपचार कराने से मना कर दिया। पकड़े गये चारों व्यक्तियो का नाम पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः अमन कुमार राव, विजय पासवान, धीरज चौरसिया व रोहित पाल बताया व उनकी निशानदेही पर एक अदद वाशिंग मशीन LG रंग काला, एक अदद LCD, एक अदद AC एग्जास्ट, दो अदद AC इण्डोर गोदरेज, तीन अदद मिक्सर जार, एक डिब्बे में डिनर सेट एप्पल लाइफ टाइम, किचन सेट MOY, एक डिब्बे में कुक सामान रायल वेलवेट प्लस सेट परपज, एक डिब्बे में डिनर सेट DLXPATRA, दो डिब्बे में गिफ्ट पैक, एक डिब्बे में 28 पीस डिनर सेट, एक डिब्बे में सोलर एयर फायर, एक डिब्बे में गैस चुल्हा मय दो बर्नर, एक डिब्बे में एक अदद LCD, एक अदद amaze बैट्री व दो अदद इन्वर्टर luminous, एक अदद luminous बैट्री. एक अदद सिलेण्डर इण्डेन, एक टुल्लू पम्प किर्लोस्कर, चार थानी, दो कटोरी, दो गिलास, एक लोटा फूल का, एक डिब्बा बन्द LCD UV एक प्लास्टिक डिब्बे में दो चेन पिली धातू व दो अंगूठा पीली धातु बरामद हुए।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी भी सामान की रिकवरी नहीं है जो भी रिकवरी दिखाई गई है उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को सह-अभियुक्त के आधार पर फर्जी गिरफ्तारी हुई है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधित इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु किसी भी मामले में आवेदक को दोष–सिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त धीरज चौरसिया की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1009/2026 को मु0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,

2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,

4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक: 23.03.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.23 16:21:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court